NO/PA/DM/P.H/

12 JUN 2019

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट अलवर

कमांक: सीबी/2019/ दिनांक :—

—:: आदेश ::—

D.M. & H.S. (P.H.)

डा0 फूलचन्द मीणा, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मालाखेडा (अलवर) के विरूद्व राजस्थान असैनिक सेवाये (वर्गीकरण,नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम—17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया था। जिस पर इन्हे अधौहस्ताक्षरकर्ता के ज्ञापन कमांक मोपबीय/2018/50—59 दिनांक 13.04.2018 के द्वारा राजश्री योजना राजस्थान सरकार की फलैगशिप योजना मे नियमित समीक्षा की जा रही है, के बावजूद भी आपके द्वारा राजश्री योजना की नियमित मोनिटरिंग नही की गई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक मे निर्देशित किये जाने के पश्चात भी 39.80 प्रतिशत राजश्री के प्रथम किस्त का भुगतान बकाया रहा है। आपका यह कृत्य उच्चाधिकारियो के आदेशो की अवेहलना एवं राज कार्य के प्रति उदासीनता की श्रेणी मे आता है ।

उक्त ज्ञापन के संदर्भ मे आरोपी खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मालाखडा (अलवर) द्वारा अपना लिखित अभिकथन कमांक सामान्य/2018/3639 दिनांक 31.05.2018 को अधौहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि निम्नानुसार है :—

राजश्री योजना की वित्तीय वर्ष 2017—18 की प्रथम किस्त के भुगतान मे सम्बन्ध मे निवेदन किया है कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मालाखेडा (अलवर) के अधिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चांदोली एवं बालेटा मे कुल 255 डिलीवरी हुई है, जिसमे से 150 फिमेल डिलेवरी हुई है। इनमे से 145 डिलीवरीयो का प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया गया है एवं 5 डिलीवरीया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर न होकर घर पर हुई है। जिसके कारण प्रसूताओ को प्रथम किस्त का भुगतान नही किया जा सका। तथा राजश्री योजन का प्रथम किस्त का कोई भी भुगतान शेष नही है। उनके द्वारा ना तो उच्च अधिकारियो के आदेशो की अवेहलना की गई है और ना ही राज्य कार्य मे किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई है।

मै आरोपी खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मालाखेडा (अलवर) के विरूद्व जारी चार्जशीट को आरोपित द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के द्वारा अभिकथन पर की गई टिप्पणी एवं पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रकरण मे सहानुभूतिपूर्वक विचार कर डा0 फूलचन्द मीणा,खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मालाखेडा (अलवर) को भविष्य मे इस कृत्य की पुनरावृत्ति नही करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण को समाप्त करता हूँ।

ह0

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट
अलवर

कमांक: सीबी/2019/320 दिनांक 30.05.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निदेशक (जन स्वा).चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज.जयपुर।
2. अति.निदेशक (राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज.जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जयपुर जोन जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर।
5. डा0 फूलचन्द मीणा,खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मालाखेडा (अलवर)
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट
अलवर

अनुपूर्ति

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमाक – सीबी/सीएएस/पी-244/2019/561 दिनाक 8/7/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को भेजकर लेख है कि जिला कलक्टर एव जिला मजिस्टेट अलवर का आदेश क्रमाक 320 दिनाक 30 05 2019 डॉ0 फूलचन्द मीणा, खण्ड मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी मालाखेडा (अलवर) को आदेश तामील करवा कर तामील रसीद भिजवाना सुनिश्चित कराव।
3. डॉ0 फूलचन्द मीणा, खण्ड मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी मालाखेडा (अलवर) द्वारा नियत्रण अधिकारी।
4. अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित स्थापन/डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईड पर आज ही अपलोड करना।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।